कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उ0प्र0 जल निगम, सहारनपुर।

चुनेहटी गाडा ग्रामीण पेयजल योजना

(मल्टी सेक्टोरियल डवलेपमेंट कार्यकम के अन्तर्गत)

हस्तान्तरण प्रपत्र

(8)

1. योजना के कार्यों का विवरण–

मल्टी सेक्टोरियल डवलेपमेंट कार्यकम योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड बलियाखेडी की ग्राम पंचायत चुनेहटी गाडा ग्रामीण पेयजल योजना का निर्माण वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्रारम्भ किया गया। योजना में अवर जलाशय, 300 किली./16 मी. स्टेजिंग, 1 नग नलकूप, 1 नग पम्प हाउस, वितरण प्रणाली 8815.00 मीटर, राइजिंग मेन एवं बाउण्डी वाल के कार्य प्रस्तावित थे। योजना के सभी कार्य पूर्ण कर योजना माह सितम्बर 2020 में जनोपयोगी कर दी गयी है।

इस योजना द्वारा ग्राम पंचायत चुनेहटी गांडा में शुद्ध पेयजल आपूर्ति विगत 3 माह से सुचारू रूप से की जा रही है। वर्तमान में योजना पूर्ण रूप से जनोपयोगी है।

क्र सं0	कार्य का विवरण		मात्रा
(अ)–	सिविल कार्य–		
1.	अवर जलाशय (300 किली. 16 मी0 स्टेजिंग)		1 नग
2.	पम्पहाउस कम क्लोरोनोम		1 नग
3.	डी.आई.के–7 200 एम.एम. व्यास		25.00 मी.
4.	वितरण प्रणाली--		
	पी0वी0सी0 (6 के0जी0एफ0/सेमी^{2})	90 एमएम व्यास	7917.60 मीटर
	पी0वी0सी0 (6 के0जी0एफ0/सेमी^{2})	110 एमएम व्यास	517.00 मीटर
	पी.वी.सी. पाइप	140 एमएम व्यास	12.00 मीटर
	पी.वी.सी. पाइप	200 एमएम व्यास	290.40 मी0
	डी. आई	200 एमएम	70.00 मी0
	डी.आई	250 एमएम	8.00 मी0
		योग–	8815.00 मीटर
5.	स्टैन्ड पोस्ट		1 नग (जल–कल प्रांगण में)

(स)– रखरखाव हेतु कार्यक्रम–

1. **सामान्य**–वितरण प्रणाली एवं अन्य पाइपों के रख रखाव में इस बात का ध्यान रखा जाना नितांत आवश्यक है कि पानी का दुरूपयोग किसी भी प्रकार न हो। इसमें इस बात का ध्यान रखा जाये कि पानी कहां से व्यर्थ हो रहा है तथा उसको किस प्रकार रोका जाये तथा भविष्य में इसकी उत्पत्ति न हो। समय समय पर पाइप लाइनों की सफाई का भी ध्यान रखना नितांत आवश्यक है।

2. **व्यर्थ पानी की मात्रा का ज्ञान करना**– पानी के व्यर्थ होने में मुख्य रूप से निम्न कारण हो सकते हैं–अवर जलाशय में लीकेज होना, पाइप फट जाना, ज्वाइंट ठीक प्रकार न होना, फैरूल का जोड ठीक न होना, वाल्वस में ग्लेण्ड एवं वाशर इत्यादि का कट जाना। बिना मीटर के संयोजन पर पानी की टोंटियों के हमेशा खुली होने के कारण पानी का दुरूपयोग सम्भव है। पाइपों में लीकेज होने पर तुरन्त ठीक कराना चाहिये।

3. जलाशय की सफाई इत्यादि का कार्य प्रत्येक 6 महीने बाद एक बार अवश्य कर लेना चाहिये। सफाई उस समय की जाये, जब जलापूर्ति में व्यवधान उत्पन्न न हो इसके लिये जलाशय के नजदीक जो बाईपास प्रबन्ध है उसके द्वारा पेयजल आपूर्ति निरन्तर की जानी चाहिये।

4. निजी संयोजन देने से पूर्व सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार स्वीकृत करा लेना चाहिये। संयोजन देने से पूर्व पानी की गुणता की जांच की जाये एवं पानी का दबाव विभिन्न स्थानों पर जांच लेना चाहिये। आय व्यय का लेखा ठीक प्रकार से रखा जाये।

सारांश– उपरोक्त समस्त बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुये अगर जल सम्पूर्ति योजना का रख रखाव ठीक प्रकार से नियमों का अनुपालन, निजी संयोजन केवल फैरूल द्वारा एवं वाटर मीटर लगाकर प्रदान करना आय को समय से एकत्रित करना, किसी भी लीकेज को तुरन्त ठीक करना इत्यादि नियमित किये जायें तो योजना पूर्ण रूप से लाभकारी होगी। किसी भी तकनीकि राय के लिये उ.0प्र0 जल निगम की सेवायें उपलब्ध ही रहेंगी।

सचिव/ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत........................
वि० खंड बलियाखेड़ी (सहारनपुर)

हस्तान्तरणकर्ता

हस्तगतकर्ता

प्रधान
ग्राम पंचायत–चुनैटी गाडा
वि० ख० बलियाखेड़ी (स०पुर)

(अनुराग सिंह)
सहायक परियोजना अभियन्ता

(नरेश गुप्ता)
परियोजना अभियन्ता

निर्माण इकाई, उ0प्र0 जल निगम,
सहारनपुर।

प्रधान / सचिव
ग्राम पंचायत चुनेहटी गाडा
विकास खण्ड बलियाखेडी